[2022] 16 एस. सी. आर 855

मेसर्स पाहवा प्लास्टिक्स पी. वी. टी. लिमिटेड। AND ANDR।

वी.

दस्तक एन. जी. ओ. और ओ. आर. एस.

(2021 की सिविल अपील संख्या 4795)

25 मार्च, 2022

[इंदिरा बनर्जी और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010: एस. 22 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006-पर्यावरण

मंजूरी-बुनियादी जैविक रसायनों के निर्माण और बिक्री में लगे अपीलकर्ता-अपीलकर्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-एच. एस. पी. सी. बी. द्वारा अपनी इकाई के लिए स्थापना (सी. टी. ई.) और संचालन (सी. टी. ओ.) के लिए सहमति प्रदान की गई-इसके बाद, सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें परियोजना के उन प्रस्तावकों के लिए पूर्व कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी ई. सी. देने का प्रावधान है जिन्होंने परियोजना शुरू की थी, जारी रखी थी या जारी रखी थी। ई. सी. प्राप्त किए बिना एक परियोजना को पूरा करना-इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है जिसमें जिन इकाइयों के पास ई. सी. नहीं होता है, उन्हें कुछ अवधि के लिए अपना संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

छह महीने की शर्तों के साथ कि वे ईसी के लिए आवेदन करेंगे-प्रतिवादी संख्या 1 ने तब एक याचिका दायर की जिसमें उक्त आदेश को रद्द करने और ईसी के बिना काम करने वाली इकाइयों को बंद करने की मांग की गई-एनजीटी ने कहा कि अपीलकर्ताओं की विनिर्माण इकाइयों, जिनके पास पूर्व ईसी नहीं था, को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-अपील पर कहा गयाः देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली और सैकड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली इकाई, जो संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदनों के अनुसरण में स्थापित की गई है, और जिसने पूर्व-वास्तविक ईसी के लिए आवेदन किया है, को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की कमी की तकनीकी अनियमितता के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए, ईसी जारी होने तक, भले ही यह प्रदूषण का कारण नहीं बन सकता है और/या आवश्यक मानदंडों का पालन करता पाया जा सकता है-इसके अलावा, एच. एस. पी. सी. बी. स्वयं इस गलत धारणा के तहत था कि विचाराधीन इकाइयों के लिए किसी भी पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी-पूर्व-वास्तविक ईसी को सामान्य रूप से नहीं दिया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से पूछने के लिए नहीं-उसी समय पूर्व-वास्तविक मंजूरी और/या अनुमोदन को पांडित्यपूर्ण कठोरता के साथ अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, रोकने के परिणामों की परवाह किए बिना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है-अपीलार्थियों को अनुमति दी जाएगी

-

इकाइयों का संचालन करें।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी निर्णय में शब्दों और वाक्यांशों और/या वाक्यों को क़ानून के तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है, और वह भी संदर्भ से बाहर। डिवीजन बेंच की टिप्पणी कि एक बार की छूट की अनुमति थी, को इस निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि छूट एक से अधिक बार नहीं दी जा सकती है। यदि अधिसूचना और/या आदेश में संशोधन या संशोधन या ढील देने की शक्ति है।

अधिसूचना और/या आदेश में जितनी बार आवश्यकता हो, संशोधन और/या संशोधन किया जा सकता है। अदालत में वकील द्वारा दिया गया बयान संबंधित प्राधिकारी को नहीं रोकेगा। संशोधन और/या संशोधन करने से, बशर्ते कि ऐसे संशोधन और/या संशोधन प्रक्रिया के अनुसार हों।

कानून द्वारा निर्धारित। [पैरा 47] [877-बी-डी] 1.2 उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक परिपत्र के संदर्भ में अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करके उक्त कार्यालय ज्ञापन पर रोक लगाने में गलती की, जो 1994 की वैधानिक पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना के विपरीत था। उच्च न्यायालय का ध्यान शायद इस तथ्य की ओर नहीं खींचा गया था कि 7 जुलाई 2021 की अधिसूचना 2017 की वैधानिक अधिसूचना के अनुसरण में थी।

वैध था। [पैरा 48] [877-डी-ई]

1.3 अपीलार्थियों की विनिर्माण इकाइयाँ लगभग 8,000 कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं और उनका विशाल वार्षिक कारोबार होता है। अ.

देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले और आजीविका प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को केवल पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त नहीं करने की तकनीकी अनियमितता के आधार पर बंद नहीं किया जाना चाहिए, भले ही इकाई वास्तव में प्रदूषण का कारण बनती हो या नहीं। [पैरा 54] [878-एच; 879-ए]

1.4 1986 का अधिनियम पूर्व कार्योत्तर निषेध नहीं करता है।

पर्यावरण मंजूरी। नियमों, विनियमों के सख्त अनुपालन में कानून के अनुसार पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी का अनुदान,

अधिसूचनाएं और/या लागू आदेश, उपयुक्त मामलों में, जहां परियोजनाएं अनुपालन में हैं, या मेसर्स पाहवा प्लैस्टिक्स पी. वी. टी. का अनुपालन करने के लिए किए जा सकते हैं।

लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ

पर्यावरण मानदंडों के साथ, इसकी अनुमति नहीं है। यदि ऐसी परियोजनाएं पर्यावरण मानदंडों का पालन करती हैं तो न्यायालय अर्थव्यवस्था या परियोजना में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और परियोजना पर निर्भर अन्य लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता से अनजान नहीं हो सकता है। [पैरा 57] [881-ए-सी]

1.5 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ईसी प्राप्त करने की आवश्यकता का पालन करने की आवश्यकता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। एक इकाई स्थापित की जा सकती है या आवश्यकता के अनुपालन के अधीन विस्तार करने की अनुमति दी गई

पर्यावरणीय मानदंड। ई. सी. पर्यावरण के दृष्टिकोण से इकाई स्थापित करने के लिए स्थल की उपयुक्तता और पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों के अस्तित्व की शर्त पर प्रदान किया जाता है। भविष्य की रक्षा के लिए पीढ़ियों और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य है कि प्रदूषण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। के तहत नहीं

परिस्थितिसभ प्रदूषणकारी उद्योगकैं संचालित करबाक अनुमति दऽ सकैत अछि। अनियंत्रित करें और पर्यावरण को खराब करें। [पैरा 62] [883-बी-डी]

1.6 पूर्व कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी नियमित रूप से नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में

सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखें। जहां कार्योत्तर अनुमोदन से इनकार करने के प्रतिकूल परिणाम कार्योत्तर अनुमोदन के अनुदान द्वारा संचालन के नियमितीकरण के परिणामों से अधिक हैं, और अन्यथा संबंधित प्रतिष्ठान आवश्यक प्रदूषण मानदंडों के अनुरूप है, कार्योत्तर अनुमोदन लागू नियमों, विनियमों और/या अधिसूचनाओं के सख्त अनुरूप, कानून के अनुसार दिया जाना चाहिए। विचलित उद्योग को 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत पर भारी जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और पर्यावरण की बहाली की लागत इससे वसूल की जा सकती है। [पैरा 63] [883-डी-एफ]

1.7 इस मामले में सवाल यह है कि क्या देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली और आजीविका प्रदान करने वाली इकाई सैकड़ों लोग, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार स्थापित किया गया है

संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से अनुमोदन, और पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी के लिए आवेदन किया है, के लिए बंद किया जाना चाहिए

पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की कमी की तकनीकी अनियमितता, ईसी जारी होने तक, भले ही यह प्रदूषण का कारण न हो और/या आवश्यक मानदंडों का पालन करते हुए पाया जा सकता है।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए, विशेष रूप से तब जब एच. एस. पी. सी. बी. स्वयं इस गलत धारणा में था कि विचाराधीन इकाइयों के लिए किसी पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। एच. एस. पी. सी. बी. ने एन. जी. टी. के समक्ष अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा है कि एपकोलाइट यमुना नगर और पाहवा यमुना नगर इकाइयों जैसी इकाइयों को नियमित करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि संबंधित अधिकारियों द्वारा उन इकाइयों को इस गलत धारणा पर आवश्यक मंजूरी दी गई थी कि किसी ईसी की आवश्यकता नहीं थी। [पैरा 64] [883-एफ-एच; 884-ए-बी]

1.8 पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी को आम तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए, और

संचालन। इस अदालत का विचार है कि एनजीटी ने कानून में यह निर्देश देने में गलती की है कि इकाइयों को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि वैधानिक अधिदेश का अनुपालन। [पैरा 66] [884-डी]

1.9 अपीलार्थियों को इकाइयों को संचालित करने की अनुमति होगी।

बिजली, अगर काट दी जाती है, तो भुगतान के अधीन बहाल कर दी जाएगी।

आरोप-पत्रों से। [पैरा 68] [884-जी]

श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्रदेश और अन्य (2011) 3 एससीसी 193 [2011] 3 एससीआर

134 ; फातिमा वी. यूनियन ऑफ इंडिया 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी

347 ; पुडुचेरी पर्यावरण संरक्षण संघ

वी. भारत संघ 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 7056; इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड v. भारत संघ 2021 एससीसी

ऑनलाइन एससी 1247; लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड

वी. भारत संघ (2011) 7 एससीसी 338: [2011] 7 एससीआर 954 संदर्भित किया गया। -

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम रोहित प्रजापति और

अन्य 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 347-विशिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 3 एससीआर 134

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[2011] 7 एससीआर 954

संदर्भित किया गया है

पैरा 58 एम/एस पाहवा प्लास्टिक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4795

2021 से। 2020 के मूल आवेदन संख्या 287 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांकित 03.06.2021 के निर्णय और आदेश से।

निदेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , तरुण गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अनिल ग्रोवर, सीनियर ए. ए. जी., मनिंदर सिंह, सीनियर एड. , सुश्री नूपुर सिंघल, राहुल खुराना, संजय कुमार विसेन, अमित साहनी, गुरप्रीत

सिंह पोपली, विनीत नगर, सुश्री अंबिका काजल, पवन कुमार। शर्मा, रामेश्वर प्रसाद गोयल, डॉ. सुरेंद्र सिंह हुड्डा, आयुषमान एरॉन, आदित्य हुड्डा, राहुल बेसोया, प्रदीप मिश्रा, दिलीप ध्यानी, सूरज सिंह, भुवन चंद्र, ताहिर अशरफ सिद्दीकी, राजेश कुमार गौतम, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

नई दिल्ली, अन्य बातों के साथ-साथ, यह मानते हुए कि अपीलार्थियों की विनिर्माण इकाइयों जैसे प्रतिष्ठानों, जिनके पास पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ईसी) नहीं थी, को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 2. इस अपील में शामिल कानून का सवाल यह है कि क्या लगभग 8000 श्रमिकों को नियुक्त करने वाला एक प्रतिष्ठान, जिसे संबंधित वैधानिक प्राधिकरण से स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) और संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) के अनुसार स्थापित किया गया है और जिसने पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी के लिए आवेदन किया है, को ईसी जारी होने तक बंद किया जा सकता है, भले ही यह प्रदूषण का कारण न हो और/या आवश्यक प्रदूषण का पालन करता हुआ पाया जा सके।

मानक। 3. बढ़ते औद्योगीकरण और धुआं और अन्य प्रदूषकों को उत्सर्जित करने वाले कारखानों की स्थापना के साथ, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में चिंता थी। जून 1972 में, संयुक्त राष्ट्र

मानव पर्यावरण पर सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, जहाँ पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा, प्रदूषण को नियंत्रित करके हवा और पानी की गुणवत्ता का संरक्षण शामिल था।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. 1974 में, संसद ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 लागू किया, जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना और पानी की संपूर्णता को बनाए रखना और बहाल करना था।

5. स्टॉकहोम में लिए गए निर्णयों को आगे बढ़ाते हुए, संसद ने वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 लागू किया।

इसके बाद वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए "वायु प्रदूषण अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है।

6. वायु प्रदूषण अधिनियम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है।

(एस. पी. सी. बी.) वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए। वायु प्रदूषण अधिनियम की धारा 16 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कदम उठाने में सक्षम बनाती है

वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना। वायु प्रदूषण अधिनियम की धारा 17 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित करके वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रमों की योजना बनाने में सक्षम बनाती है।

9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जिसे इसके बाद "ईपी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है, को भी मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार अधिनियमित किया गया था। जून, 1972 में स्टॉकहोम। ई. पी. अधिनियम के अधिनियमन के लिए उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, उक्त अधिनियम पर्यावरण पर चिंता के कारण प्रेरित हुआ है, जो 60 के दशक से पूरी दुनिया में बढ़ा है।

10. ई. पी. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) केंद्र सरकार को ऐसे सभी उपाय करने का अधिकार देती है जो वह आवश्यक एम./एस. पाहवा प्लेस पी. वी. टी. समझती है।

लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ [इंदिरा बनर्जी, जे.]

वायरनमेंट की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार और पर्यावरणीय आयन को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से पेडिएंट।

11. ई. पी. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) केंद्र को सक्षम बनाती है

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:

" ((i) राज्य सरकारों द्वारा कार्यों का समन्वय,

अधिकारी और अन्य अधिकारी ((क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जो -

इस अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित;

((ii) एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसका निष्पादन करना।

पर्यावरण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन

प्रदूषण;

((ग) पर्यावरण की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के लिए मानक निर्धारित करना।

((iv) उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना।

विभिन्न स्रोतों से इस खंड के तहत निर्धारित किया जा सकता है उत्सर्जन की गुणवत्ता या संरचना को ध्यान में रखते हुए

या ऐसे स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों का निर्वहन;

(v) उन क्षेत्रों का प्रतिबंध जिसमें कोई उद्योग, संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों का वर्ग, संचालन या प्रक्रियाएँ

निष्पादित नहीं किया जाएगा या कुछ शर्तों के अधीन किया जाएगा

सुरक्षा उपाय; (vi) रोकथाम के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय निर्धारित करना।

दुर्घटनाएँ जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकती हैं और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारात्मक उपाय;

(vii) संचालन के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय निर्धारित करना।

खतरनाक पदार्थों का;

((viii) ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्रियों और पदार्थों की जांच करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना हो।

(ix) जांच और अनुसंधान करना और प्रायोजित करना।

पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित; 16 एस. सी. आर.

(x) किसी भी परिसर, संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, विनिर्माण या अन्य प्रक्रियाओं, सामग्री या पदार्थों का निरीक्षण

और आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारियों, अधिकारियों या व्यक्तियों को ऐसे निर्देश देना जो पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए कदम उठाने के लिए आवश्यक समझे;

इस अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाएं और संस्थान; (xii) के संबंध में जानकारी का संग्रह और प्रसार

पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामले;

(xiii) पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन से संबंधित नियमावली, संहिता या गाइड तैयार करना;

(xiv) ऐसे अन्य मामले जो केंद्र सरकार मानती है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन।

12. ई. पी. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

" 3. उपाय करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति

पर्यावरण की रक्षा करें और उसमें सुधार करें। —

(3) केंद्र सरकार, यदि वह इसे आवश्यक समझती है,

या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा करने के लिए समीचीन, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, एक प्राधिकरण का गठन करता है

या ऐसे नाम या नामों से प्राधिकरण जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं

इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की ऐसी शक्तियों और कार्यों (धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति सहित) का प्रयोग करने और निष्पादन करने के उद्देश्य से और इस तरह के उपायों के संबंध में उपाय करने के लिए

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मामलों के बारे में, जैसा कि आदेश में उल्लेख किया जा सकता है और केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण और इसके प्रावधानों के अधीन

ऐसा आदेश, ऐसा प्राधिकरण या प्राधिकरण शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं या कार्यों का पालन कर सकते हैं या आदेश में इस प्रकार उल्लिखित उपाय कर सकते हैं जैसे कि ऐसे प्राधिकरण या प्राधिकरणों को इस अधिनियम द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करने या उन कार्यों को करने या ऐसे उपाय करने के लिए सशक्त किया गया था। मेसर्स पाहवा प्लास्टिक्स पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ [इंदिरा बनर्जी, जे.]

13. ई. पी. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार

धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत, सुरक्षा के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति है, जो उसे आवश्यक या समीचीन लगते हैं और

पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना।

14. ई. पी. अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लेकिन ई. पी. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार, ई. पी. अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों और अपने कार्यों के प्रदर्शन का प्रयोग करते हुए, किसी भी व्यक्ति को लिखित रूप में निर्देश जारी कर सकती है।

अधिकारी या कोई प्राधिकरण और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

ई. पी. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) की उप-धारा (1) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त, जिसे ई. पी. नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (डी) के साथ पढ़ा जाता है, यह निर्देश देते हुए कि उक्त के प्रकाशन की तारीख से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, किसी भी गतिविधि का विस्तार या आधुनिकीकरण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची I में सूचीबद्ध एक नई परियोजना

भारत के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसे केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार ईसी प्रदान नहीं किया गया हो। 17. ई. पी. नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (डी) के साथ पठित ई. पी. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) की उप-धारा (1) और खंड (वी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 27 जनवरी 1994 की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 60 (ई) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने वाले कार्यों के संबंध में किए गए कार्यों को छोड़कर, केंद्रीय

सरकार ने 14 सितंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया था कि

ई. पी. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा विधिवत गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली अधिसूचना एस. ओ. 1533 (ई)। 18. 14 सितंबर 2006 की उक्त अधिसूचना के संदर्भ में, नई परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया में शामिल होना था

अधिकतम चार चरणों में से, जो सभी विशेष [2022] 16 एस. सी. आर. पर लागू नहीं हो सकते हैं।

मामले। ये चरण थे (1) जांच, (2) दायरा, (3) सार्वजनिक परामर्श और (4) मूल्यांकन।

19. इस बीच, 12 अप्रैल 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 10 अप्रैल 2001 की एस. ओ. 327 (ई) अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार ने ई. पी. अधिनियम के तहत निहित शक्तियों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के अध्यक्षों को किसी भी उद्योग या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए निर्देश जारी करने के लिए सौंप दिया है।

20. अपीलार्थी अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण का व्यवसाय भी करते हैं।

और बुनियादी जैविक रसायनों, अर्थात् फॉर्मेल्डिहाइड की बिक्री। अपीलार्थी संख्या 1, मेसर्स पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड की दो विनिर्माण इकाइयाँ हैं, एक रोहतक के गाँव खरावर में, जिसे इसके बाद "रोहतक इकाई" के रूप में जाना जाता है और दूसरी हरियाणा के यमुना नगर के गाँव जथलाना, जगाधरी में, जिसे इसके बाद "यमुना नगर इकाई" के रूप में जाना जाता है। अपीलार्थी संख्या 2 की हरियाणा के यमुना नगर के गाँव घेसपुर में एक विनिर्माण इकाई है जिसे इसके बाद "यमुना नगर इकाई" के रूप में जाना जाता है। संबंधित अपीलकर्ताओं द्वारा स्थापित, संचालित और संचालित विनिर्माण इकाइयां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की श्रेणी में आती हैं, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के तहत परिभाषित किया गया है।

उद्यम विकास अधिनियम, 2006, जिसे इसके बाद "एमएसएमई" के रूप में संदर्भित किया गया है।

एक्ट "।

फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण के लिए इकाई। 22. एक संचार सं. एचएसपीसीबी/सहमति/: 28466162 जून 2016 को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच. एस. पी. सी. बी.) ने यमुना नगर इकाई के संबंध में अपीलकर्ता संख्या 1 एम/एस पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड को स्थापना (सी. टी. ई.) के लिए सहमति प्रदान की। सी. टी. ई. को इसके जारी होने की तारीख से 60 महीने के लिए वैध रहना था, जिसे बोर्ड के विवेक पर या इकाई द्वारा अपना परीक्षण उत्पादन शुरू करने तक, जो भी पहले हो, एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाना था।

23. कुछ नियम और शर्तें जिन पर सी. टी. ई. को मंजूरी दी गई थी

नीचे दिए गए हैं:

" 3. बोर्ड के अधिकारी/अधिकारी को इस संबंध में उद्योग तक पहुँचने और निरीक्षण करने का अधिकार होगा

मेसर्स पाहवा प्लास्टिकस पी. वी. टी. द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रक्रियाएं और उपचार सुविधाएं।

लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ [इंदिरा बनर्जी, जे.]

भवन/मशीनरी के निर्माण के साथ-साथ। अपशिष्ट को अपशिष्ट मानकों के अनुरूप होना चाहिए

लागू होता है। 4. वह आवश्यक व्यवस्था उद्योग द्वारा की जाएगी।

संयंत्र को चालू करने से पहले वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। उत्सर्जित प्रदूषक उत्सर्जन और अन्य चीज़ों को पूरा करेंगे।

5. आवेदक जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के तहत और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) की धारा 21/22 के तहत सहमति प्राप्त करेगा। प्रदूषण) अधिनियम, 1981, जिसे परीक्षण उत्पादन शुरू करने से पहले ही संशोधित किया गया था।

6. स्थापना के लिए उपरोक्त सहमति आगे के अधीन है

शर्तों कि इकाई सभी कानूनों/नियमों/का पालन करती है

बोर्ड/सरकार और उसके अधिकारियों के सभी मामलों में निर्णय और सक्षम निर्देश ऑपरेशन और इसके वास्तविक काम के दौरान सख्ती से।

***

8. बिजली विभाग केवल अस्थायी ही देगा।

बोर्ड द्वारा दी गई सहमति के सत्यापन के बाद इकाई को कनेक्शन और स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा, दोनों के तहत

जल अधिनियम और वायु अधिनियम।

***

12. कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई निर्वहन नहीं है

किसी भी अंतरराज्यीय नदी या यमुना नदी या घग्गर नदी में इकाई या प्रक्रिया।

13. कि संबंधित उद्योग या इकाई पर्यावरण कानूनों के अनुसार किसी भी निषिद्ध दूरी के भीतर नहीं है और केंद्र के नियम, अधिसूचना, आदेश और नीतियाँ

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

***

17. पिछली सहमति से नाम बदलने के मामले में

स्थापित करने के लिए स्वीकृत, शुल्क स्थापित करने के लिए नई सहमति होगी

लगाया जाता है।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. उद्योग को अपनी प्रक्रिया में पानी की न्यूनतम खपत सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए। नए उद्योगों के भूजल आधारित प्रस्तावों को मंजूरी मिलनी चाहिए

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से वैज्ञानिक

पूर्ववर्ती संसाधनों का विकास।

19. कि इकाई संबंधित से अन्य सभी मंजूरी ले लेगी

एजेंसियां, जब भी आवश्यकता हो।

20. कि इकाई पूर्व के बिना अपनी प्रक्रिया को नहीं बदलेगी

बोर्ड की अनुमति।

21. यदि इकाई अरावली क्षेत्र या गैर-अनुरूप क्षेत्र में आती है, तो इस तरह से दी गई स्थापना की सहमति अमान्य होगी।

22. कि इकाई खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करेगी और खतरनाक कचरे के भंडारण के लिए गैर-रिसाव वाले गड्ढे भी बनाएगी और ऐसा न करने का बीड़ा उठाएगी

उनके अपने परिसर में या अधिकृत निपटान प्राधिकरण के साथ गड्ढे को छोड़कर उनका निपटान करें। 23. कि इकाई एक
वचन प्रस्तुत करेगी कि वह इसका पालन करेगी

30 दिनों के भीतर स्थापित करने के लिए उपरोक्त सहमति में लगाई गई सभी विशिष्ट और सामान्य शर्तों के साथ

स्थापना के लिए सहमति रद्द कर दी जाएगी।

24. एक अन्य संचार द्वारा No.HSPCB/सहमति/:

284661826 मार्च 2018 को वाई. ए. एम. सी. टी. ओ. 3098246, एच. एस. पी. सी. बी. ने अपीलकर्ता संख्या 1 को 8 फरवरी 2018 से 31 मार्च 2022 तक अपनी यमुना नगर इकाई के संचालन के लिए सहमति प्रदान की।

25. 31 मार्च 2010 के एक आदेश No.HSPCB/YMN/2242 द्वारा, अपीलकर्ता संख्या 2, मेसर्स एपकोलाइट पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी गई थी।

सी. टी. ई. निर्माण के लिए अपनी यमुना नगर इकाई स्थापित करेगा प्रतिदिन 80 टन की विनिर्माण क्षमता के साथ फॉर्मेल्डिहाइड।

26. एक अन्य संचार सं। एचएसपीसीबी/सहमति/: एच. एस. पी. सी. बी./वाई. एम. एन./डी. एल. सी./2011/4027 और एच. एस. पी. सी. बी./वाई. एम. एन./डी. एल. सी./2011/4029 दिनांक 16 जनवरी 2012, एच. एस. पी. सी. बी. ने अपीलार्थी सं. 2, मेसर्स एपकोलाइट को मंजूरी दी।

पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड, अपनी यमुना नगर इकाई के संचालन के लिए सहमति (सीटीओ)। सीटीओ को 13 मार्च 2016 के एक पत्र द्वारा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। सीटीओ मार्च तक वैध है। 2026 .

मेसर्स पाहवा प्लास्टिक्स पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ [इंदिरा बनर्जी, जे.]

27. एक संचार सं. एचएसपीसीबी/सहमति/: 2846616YAMCT/M2630357 दिनांक 13 मार्च 2016, एच. एस. पी. सी. बी. ने इसके लिए सहमति प्रदान की

अपनी यमुना नगर इकाई के अपीलकर्ता संख्या 2, मेसर्स एपकोलाइट पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड को अन्य बातों के साथ-साथ, शर्तों औरउक्त पत्र में निर्दिष्ट लेख, जिनमें से कुछ नीचे निकाले गए हैं:

" 10. इस तरह के विनिर्देशन के वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण

जो उत्सर्जन को उत्सर्जन मानक के भीतर रखेगा।

राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाएगा उस परिसर में स्थापित और संचालित जहां उद्योग है

अपना व्यवसाय जारी रखना/प्रस्तावित करना।

11. यदि आवश्यक हो तो मौजूदा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण

निर्देश के अनुसार सतर्क या प्रतिस्थापित किया जाएगा

बोर्ड पर।

12. कारखाना परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस कचरे

उचित रूप से वर्गीकृत और निपटानः

(i) भूमि भरने की सामग्री के मामले में, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि

कि सामग्री लीचेट को जन्म नहीं देती है जो हो सकता है

तूफान के साथ ले जाए गए भूजल में रिसाव

बंद कर दें।

((ii) जैव अपघटनीय सामग्री के मामले में कम्पोस्टिंग।

(iii) यदि भस्मीकरण की विधि का उपयोग निपटान के लिए किया जाता है

ठोस अपशिष्ट सहमति आवेदन को संसाधित किया जाना चाहिए अलग से और इसे लिया जाना चाहिए जो सहमति दी जाती है।

13. उद्योग इसके लिए एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

कि उपरोक्त शर्तों का उनके द्वारा पालन किया जाएगा।

14. आवेदक इस आशय का अपना वचन प्रस्तुत करेगा।

कि उपरोक्त शर्तों का उनके द्वारा पालन किया जाएगा।

15. आवेदक नए अनुदान के लिए आवेदन करेगा।

इस समाप्ति की तारीख से कम से कम 90 दिन पहले सहमति

सहमति दें।

***

18. से कोई भगोड़ा उत्सर्जन नहीं होना चाहिए

परिसर।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के संचालन से उत्पन्न होने वाले तरल अपशिष्ट को भी जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत दी गई सहमति में निर्धारित मानकों के अनुसार उपचारित किया जाएगा।

बोर्ड।

***

21. यदि उद्योग किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है

यह सहमति आदेश इस प्रकार दी गई सहमति स्वचालित रूप से होगी

लैप्स।

***

33. उद्योग एक बार पर्यावरण लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

एक वर्ष में।

***

38. उत्सर्जन को पारित करने के मामले में, सहमति होगी

निरस्त माना जाता है "।

28. यह अपीलार्थियों का मामला है कि उस समय जब अपीलार्थियों को सी. टी. ई. प्रदान किया गया था, यह सोचा गया था कि ई. सी. की आवश्यकता नहीं थी

इकाइयाँ जो फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करती थीं। यहाँ तक कि एच. एस. पी. सी. बी. को भी इस बात का यकीन नहीं था कि ऐसी इकाइयों के लिए ई. सी. की आवश्यकता है या नहीं।

जिन्होंने ई. पी. अधिनियम/ई. पी. नियमों या पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना के तहत ई. सी. प्राप्त किए बिना एक परियोजना शुरू की, जारी रखी या पूरी की थी। इसके तहत जारी किया गया। उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3,4 और 5 को नीचे पढ़ा जा सकता हैः

" (3) उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित राज्य या राज्य प्रदूषण मेसर्स पाहवा प्लास्टिकस पी. वी. टी. द्वारा परियोजना प्रस्तावक।

लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ [इंदिरा बनर्जी, जे.]

धारा 19 के प्रावधानों के तहत नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इसके अलावा, कोई सहमति नहीं

संचालन या अधिभोग प्रमाण पत्र तब तक जारी किया जाएगा जब तक

परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दी जाती है।

(4) उल्लंघन के मामलों का मूल्यांकन संबंधित क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।

उप-धारा के तहत गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियाँ (3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3

पर्यावरण सुरक्षा उपाय; और मामले में, जहां का निष्कर्ष विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति नकारात्मक है, बंद

अन्य कार्यों के साथ परियोजना की सिफारिश की जाएगी

कानून।

(5) मामले में, जहां विशेषज्ञ मूल्यांकन के निष्कर्ष

उपरोक्त उप-पैरा (4) पर समिति सकारात्मक है,

इस श्रेणी के तहत परियोजनाएं निर्धारित की जाएंगी

पर्यावरण पर प्रभाव डालने के लिए संदर्भ की शर्तें

पर्यावरण प्रबंधन का मूल्यांकन और तैयारी

योजना बनाएँ। इसके अलावा, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति निर्धारित करेगी

मूल्यांकन पर परियोजना के लिए संदर्भ की एक विशिष्ट शर्तें

पारिस्थितिकीय क्षति, उपचार योजना और प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना और यह होगा

पर्यावरण प्रभाव में एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में तैयार किया गया

मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट। संग्रह

और पारिस्थितिकीय क्षति के आकलन के लिए आंकड़ों का विश्लेषण,

उपचार योजना और प्राकृतिक और सामुदायिक तैयारी

संसाधन संवर्धन योजना एक पर्यावरण द्वारा की जाएगी।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत विधिवत अधिसूचित प्रयोगशाला,

1986 , या राष्ट्रीय द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला

परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन बोर्ड,

या वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद की प्रयोगशाला

पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अनुसंधान संस्थान "।

31. 2017 की अधिसूचना एक वैध वैधानिक अधिसूचना है जो केंद्र सरकार द्वारा [2022] 16 एस. सी. आर. में ई. पी. नियमों के नियम 5 (3) (डी) के साथ पठित ई. पी. अधिनियम की धारा 3 (1) (2) (वी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।

27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना और 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना के समान ही।

32. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 में प्रावधान है कि जहां कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियम जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अधिसूचनाएँ, आदेश, नियम या उप-कानून, उस शक्ति में किसी भी अधिसूचना, आदेश, नियम या उप-कानून को जोड़ने, संशोधित करने, बदलने या रद्द करने की शक्ति, यदि कोई हो, उसी तरह से प्रयोग करने योग्य और उसी तरह की मंजूरी और शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन है। प्राधिकरण, जिसके पास 27 जनवरी 1994 और 14 सितंबर 2006 को अधिसूचना जारी करने की शक्ति थी, के पास निस्संदेह उन अधिसूचनाओं को उसी तरह से रद्द करने या संशोधित करने या संशोधित करने की शक्ति थी और अभी भी है। जैसा कि इस न्यायालय ने श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड और अन्य बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ', धारा 21 के तहत शक्ति

समय-समय पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उप-कानूनों में संशोधन, परिवर्तन या रद्द करने का प्रयोग किया जा सकता है। 33. पुडुचेरी पर्यावरण संरक्षण संघ ने 14 मार्च 2017 की उक्त अधिसूचना पर आरोप लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में 2017 की डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 1 के रूप में एक रिट याचिका दायर की। 13 अक्टूबर 2017 के एक फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने उक्त अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि विवादित अधिसूचना पर्यावरण की शुद्धता को संरक्षित करने की आवश्यकता से समझौता नहीं करती है।

34. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी.) ने 23 मार्च 2020 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र के असाधारण भाग II में विधिवत प्रकाशित किया गया था। अधिसूचना के उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए ई. पी. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) की उप-धारा (1) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव किया गया था। ईसी के लिए। यह प्रस्ताव किया गया था कि उल्लंघन के मामलों का मूल्यांकन मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या परियोजना का निर्माण या संचालन किसी ऐसे स्थान पर किया गया था जो प्रचलित कानूनों के तहत अनुमेय था और जिसे पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन पर स्थायी रूप से चलाया जा सकता था। यदि मूल्यांकन समिति के निष्कर्ष नकारात्मक थे तो बंद करने की सिफारिश की जानी थी। यदि मूल्यांकन समिति ने पाया कि ऐसी इकाई पर्याप्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों के साथ पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन पर स्थायी रूप से चल रही थी, तो इकाई निर्धारित की जाएगी।

उपयुक्त संदर्भ शर्तें (टी. ओ. आर.) जिसके बाद ई. सी. प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

1 1 (2011) 3 एस. सी. सी. 193 एम./एस. पाहवा प्लास्टिकस पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ [इंदिरा बनर्जी, जे.]

35. 10 नवंबर 2020 को हरियाणा सरकार के पर्यावरण और खान-पान विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि

सुविधा के लिए नीचे लिखा गया हैः

" जबकि फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण की प्रक्रिया है की अनुसूची के 5 (च) के प्रावधानों के तहत शामिल

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना (ई. आई. ए.), 2006

भारत सरकार, और पूर्व पर्यावरण की आवश्यकता है

सक्षम प्राधिकारी राज्य पर्यावरण से मंजूरी (ईसी)

प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई. आई. ए. ए.)/मंत्रालय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सरकार

भारत, ऐसी इकाइयों की स्थापना और संचालन से पहले,

अन्य अनिवार्य मंजूरी के अलावा, जैसा भी लागू हो;

जबकि, सरकार के संज्ञान में आया है कि लगभग 15 ऐसी इकाइयों को हरियाणा राज्य में स्थापित करने/संचालित करने की अनुमति दी गई है, बिना आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त किए।

पर्यावरण मंजूरी, लेकिन की सहमति के साथ

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो (एचएसपीसीबी), जो

ऐसी इकाइयों की श्रेणी की गलत व्याख्या की और यह महसूस किया कि

इन मामलों में ईसी की आवश्यकता ने अपनी सहमति को रद्द कर दिया है

हाल ही में इन इकाइयों को पहले जारी किया गया;

जबकि, इनमें से कुछ इकाइयों ने संपर्क किया

सरकार इस तरह के अचानक होने के कारण अपनी कठिनाइयों को समझाती है

उनकी सहमति को निरस्त करना और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक ईसी प्राप्त करने के लिए समय मांगा है क्योंकि इस प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने से एक साल की अवधि लगने की संभावना है।

और उन्हें सभी प्रदूषण नियंत्रण के साथ काम करने की अनुमति देना।

लागू प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन करते हुए उपाय, और,

जबकि, सरकार ने उनके अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि ये इकाइयों को किसी भी कानूनी कार्रवाई के प्रतिकूल प्रभाव के बिना छह महीने की अवधि के लिए अपना संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

उनके द्वारा किए गए उल्लंघनों के विरुद्ध, सक्षम द्वारा

अधिकारियों, शर्तों के साथ कि वे तुरंत करेंगे

सक्षम व्यक्ति से पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन करें

प्राधिकरण और पर्यावरण [2022] 16 एस. सी. आर. को इस संचार के जारी होने के 60 दिनों के भीतर इस तरह के आवेदन का प्रमाण प्रदान करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और जलवायु परिवर्तन विभाग और हरियाणा राज्य को

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

इसलिए, इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।

36. एच. एस. पी. सी. बी. द्वारा एन. जी. टी. के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने बताया कि चूंकि एच. एस. पी. सी. बी. स्वयं इसके अधीन था।

गलत धारणा है कि पूर्व ईसी जैसी इकाइयों के लिए आवश्यक नहीं था अपीलार्थियों की यमुनानगर इकाइयाँ सं। 1 और क्रमशः 2। एच. एस. पी. सी. बी. ने उन इकाइयों को छह महीने तक काम करने की अनुमति देने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया, जिनके पास पूर्व में ई. सी. नहीं था, इस शर्त पर कि वे इसके भीतर ई. सी. के लिए आवेदन करेंगे।

साठ दिन।

37. अपीलकर्ताओं ने अपनी विनिर्माण इकाइयों के संबंध में ईसी के लिए विधिवत आवेदन किया। उनके आवेदनों की जांच करने और प्रचलित दिशानिर्देशों के संदर्भ में ईसी के अनुदान के लिए उपयुक्त इकाइयों को खोजने के बाद, एमओईएफ एंड सीसी द्वारा गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को जारी करने के लिए अपीलार्थियों के मामलों को अंतिम रूप देने के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई की।

38. एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा, एफ. नं. 22-21/2020-1 A III, दिनांक 7 जुलाई 2021 को, एमओईएफ एंड सीसी ने ईआईए के तहत उल्लंघन के मामलों की पहचान और उनसे निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।

अधिसूचना 2006।

39. उक्त कार्यालय ज्ञापन, अन्य बातों के साथ, पढ़ता हैः

" मंत्रालय ने 14 मार्च, 2017 को एक अधिसूचना संख्या S.O.804 (E) जारी की थी, जिसमें अनुदान देने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया था। उन परियोजनाओं या गतिविधियों के संबंध में संदर्भ और पर्यावरण मंजूरी की शर्तें जिन्होंने साइट पर काम शुरू कर दिया है और/या पूर्व ईसी की सीमा से परे उत्पादन का विस्तार किया है या पूर्व ईसी प्राप्त किए बिना उत्पाद मिश्रण को बदल दिया है।

2. यह अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से छह महीने यानी 14.03.2017 से 13.09.2017 तक लागू थी और आगे 14.03.2018 से 13.04.2018 तक अदालत के निर्देश पर आधारित थी। 3. दस्तक एन. जी. ओ. बनाम साइनोकेम ऑर्गेनिक्स प्रा. लि. के मामले में 2020 के मूल आवेदन No.287 में माननीय एन. जी. टी. लिमिटेड और ओआरएस। और विनीत नगर बनाम में 2020 के मूल आवेदन संख्या 298 में एक ही विषय से संबंधित आवेदनों में। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और अन्य।

, मेसर्स पाहवा प्लास्टिक्स पी. वी. टी. के दिनांकित आदेश के माध्यम से। लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ [इंदिरा बनर्जी, जे.]

03.06.2021 अभिनिर्धारित किया कि "(.) पिछले उल्लंघनों के लिए, संबंधित अधिकारी उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं"।

4. इसके अलावा, ओ. ए. सं. में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण।

34/2020 तानाजी बी. गाम्बिरे बनाम चीफ के मामले में डब्ल्यूजेड

सचिव, महाराष्ट्र सरकार और अन्य। , दिनांकित 24.05.2021 आदेश के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि ". एक उचित एस. ओ. पी. रखी जाए।

ऐसे मामलों में ईसी के अनुदान के लिए नीचे ताकि अंतराल को दूर किया जा सके

वर्तमान में पालन किए जा रहे बाध्यकारी कानून और व्यवहार में। द.

देश में "। 5. इसलिए, माननीय के निर्देशों का पालन करते हुए

एन. जी. टी. को उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) तैयार करने की आवश्यकता है। मंत्रालय 'उल्लंघन' मामलों की विभिन्न श्रेणियों को भी जब्त करता है जो एक अनुमोदित संरचनात्मक/प्रक्रियात्मक के अभाव में लंबित हैं।

प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और सिद्धांत पर आधारित ढांचा

आनुपातिकता '। यह निस्संदेह महत्वपूर्ण है कि कार्रवाई

कानूनी प्रावधानों के तहत चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

उल्लंघनकर्ता और परियोजना को बंद करने का निर्णय या

गतिविधि या अन्यथा तेजी से की जाती है। 6. माननीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त निर्देशों के आलोक में

और इसमें शामिल मुद्दे, तदनुसार मामले को मंत्रालय में विस्तार से जांच की गई। एक विस्तृत एस. ओ. पी है

तदनुसार तैयार किया गया है और यहाँ रेखांकित किया गया है। एस. ओ. पी. माननीय की टिप्पणियों/निर्णयों द्वारा भी निर्देशित होती है।

न्यायालय जहाँ आनुपातिकता और प्रदूषकों के सिद्धांत भुगतान करते हैं

रेखांकित किया गया है "।

40. 2021 के उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा तैयार की गई एस. ओ. पी. अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले के विभिन्न न्यायिक निर्णयों को संदर्भित करती है और उन्हें प्रभावी बनाती है।

प्रजापति और अन्य 2 को हिट करें।

41. एस. ओ. पी. के संदर्भ में, राष्ट्र के मामलों में ई. सी. के अनुदान के प्रस्ताव पर योग्यता के आधार पर, संभावित प्रभाव के साथ विचार किया जाना है।

आनुपातिकता के उदाहरण और वह सिद्धांत जो प्रदूषक भुगतान करता है और है

ई. उपचारात्मक उपायों की लागत के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. 9 जुलाई 2021 के एक आदेश द्वारा, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की

और अपने फॉर्मेल्डिहाइड के विस्तार के लिए अपीलकर्ता संख्या 1, मेसर्स पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड को संदर्भ की शर्तें जारी करने की सिफारिश की। विनिर्माण इकाई 60 टी. पी. डी. से 150 टी. पी. डी. तक।

43. इस बीच, 26 नवंबर 2020 को या उसके आसपास, प्रतिवादी संख्या 1, एक गैर-सरकारी संगठन (एन. जी. ओ.) जिसे इसके बाद "दस्तक" के रूप में संदर्भित किया गया है, ने एन. जी. टी. के समक्ष ओ. ए. No./287/2020 के रूप में एक आवेदन दायर किया जिसमें अनुरोध किया गया कि हरियाणा राज्य द्वारा 10 नवंबर 2020 को पारित आदेश को रद्द कर दिया जाए और ऐसी इकाइयाँ जो ई. सी. के बिना काम कर रही थीं, उन्हें बंद कर दिया जाए। एनजीटी ने 3 जून 2021 के विवादित आदेश द्वारा दस्तक के उक्त आवेदन का निपटारा कर दिया।

44. एक जनहित याचिका डब्ल्यू. पी. (एम. डी.) 2021 की सं. 11757 (फातिमा बनाम. भारत संघ) को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष 7 जुलाई 2021 के उक्त ज्ञापन को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। 15 जुलाई 2021 के एक अंतरिम आदेश द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और उक्त ज्ञापन पर रोक लगा दी।

45. मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा और

आयोजितः

" यह रिट याचिका दिनांकित कार्यालय ज्ञापन की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है।

07.07.2021 , प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया।

2. हमने विद्वान वकील श्री ए. योगेश्वरन को सुना है।

रिट याचिकाकर्ता और श्री एल. विक्टोरिया गौरी, भारत के विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल की ओर से पेश होते हुए, नोटिस स्वीकार करते हैं

उत्तरदाता के लिए।

3. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के विपरीत, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रतिवादी की शक्तियों के विपरीत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 48-ए की व्याख्या करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, विवादित कार्यालय ज्ञापन को पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना होने के रूप में चुनौती दी गई है। 4. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित अधिसूचना माननीय मेसर्स पाहवा प्लास्टिकस पी. वी. टी. के समक्ष दिए गए वचन का घोर उल्लंघन है।

लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ [इंदिरा बनर्जी, जे.]

2017 के आई. डी. 1 में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ, जिसमें न्यायालय ने भारत सरकार की ओर से की गई दलीलों पर ध्यान दिया कि उसमें आक्षेपित अधिसूचना केवल एक बार का उपाय है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी यह देखने में विफल रहा कि पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन की अवधारणा पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए अलग है और यह पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के लिए अभिशाप है।

5. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित अधिसूचना में है

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम रोहित के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का घोर उल्लंघन

प्रजापति, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 347 और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा S.P.Muthuraman बनाम भारत संघ और एक अन्य, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. जी. टी. 169 के मामले में पारित आदेश।

6 एक चुनौती में हमारे द्वारा समान आधारों पर विचार किया गया था

एक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19.02.2021, जिसने तटीय क्षेत्र के तहत कार्योत्तर मंजूरी देने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान की

विनियमन क्षेत्र (सी. आर. जेड.) अधिसूचना 2011, इस आधार पर कि अधिसूचना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद और पहले के निर्णयों और उपक्रमों के विपरीत। डब्ल्यू. पी. (एम. डी.) में उक्त रिट याचिका। 2021 के No.8866 को स्वीकार कर लिया गया था और 30.04.2021 के आदेश द्वारा, उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19.02.2021 पर रोक लगा दी गई है।

7. इस रिट याचिका में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भारत सरकार कार्यालय ज्ञापन जारी कर सकती थी और उल्लंघन करने वालों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया ला सकती थी, जो इसका पालन करने में विफल रहे।

पर्यावरण प्रभाव आकलन के तहत पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के साथ पठित अधिसूचना 2006। इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ऊपर उद्धृत) में विचार किया गया था, और यह माना गया था कि परिपत्र की प्रकृति में ऐसा कार्यालय ज्ञापन अधिकार क्षेत्र के बाहर है। निर्णय का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः

" ..... 14 मई 2002 के प्रशासनिक परिपत्र द्वारा जो हासिल करने की मांग की गई है, वह वैधानिक अधिसूचना [2022] 16 एस. सी. आर. के विपरीत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक 27 जनवरी 1994। 14 मई 2002 के परिपत्र में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि इस पर हानिकारक प्रभाव कैसे पड़ता है।

यदि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी दिया जाता है तो पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा। 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना एक पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य करती है। सर्कुलर 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के आवेदन में काफी संशोधन या बदलाव करता है। जब तक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी नई परियोजना को शुरू नहीं करने या किसी मौजूदा परियोजना का विस्तार या आधुनिकीकरण नहीं करने का आदेश कमजोर हो जाता है और इसे जारी करने से अप्रभावी हो जाता है।

14 मई 2002 का प्रशासनिक परिपत्र। यह चर्चा हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि प्रशासनिक परिपत्र धारा 3 द्वारा संरक्षित उपाय नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं था।

एन. जी. टी. पर इसकी वैधता या अधिकारिता की जांच करने के लिए क्षेत्राधिकार प्रतिबंध। इसके अलावा, प्रशासनिक परिपत्र ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 के विपरीत है जिसका एक वैधानिक चरित्र है। परिपत्र कानून में अस्थिर है। '

8. उपरोक्त निर्णय के बावजूद, एक बार फिर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्यालय जारी करने का मार्ग अपनाया है

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम। 9. पुडुचेरी पर्यावरण संरक्षण द्वारा माननीय प्रथम पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी

एसोसिएशन, समान आधारों पर 14.03.2017 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए और माननीय प्रथम पीठ ने दिनांक 13.10.2017 के फैसले द्वारा भारत के विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल की दलीलें दर्ज कीं कि उक्त अधिसूचना एक बार का उपाय था और तदनुसार, रिट का निपटारा किया गया।

याचिका।

10. एक बार फिर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विवादित कार्यालय जारी किया है

ज्ञापन। इस प्रकार, हमने ऊपर जो उल्लेख किया है, उससे हमारा स्पष्ट विचार है कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका पर विचार करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और अंतरिम आदेश होगा।

ठहरिए। " मेसर्स पाहवा प्लास्टिक्स पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ [इंदिरा बनर्जी, जे.]

46. यह सच है कि पुडुचेरी पर्यावरण संरक्षण संघ बनाम के मामले में। भारत संघ 3, मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भारत संघ की ओर से की गई इस दलील पर ध्यान दिया और इसे दर्ज किया कि छूट एक बार की छूट थी। इस तरह के निवेदन को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि एक बार की छूट थी

47. हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी निर्णय में शब्दों और वाक्यांशों और/या वाक्यों को क़ानून के तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है, और वह भी संदर्भ से बाहर। डिवीजन बेंच की टिप्पणी कि एक बार की छूट की अनुमति थी, को इस निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि छूट एक से अधिक बार नहीं दी जा सकती है। यदि किसी अधिसूचना और/या आदेश में संशोधन या संशोधन या ढील देने की शक्ति मौजूद है, तो अधिसूचना और/या आदेश में जितनी बार आवश्यक हो, संशोधन और/या संशोधन किया जा सकता है। अदालत में वकील द्वारा दिया गया एक बयान संबंधित प्राधिकारी को संशोधन और/या संशोधन करने से नहीं रोकेगा बशर्ते कि ऐसे संशोधन और/या संशोधन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हों। 48. मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक परिपत्र के संदर्भ में अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करके उक्त कार्यालय ज्ञापन पर रोक लगाने में गलती की, जो 1994 की वैधानिक पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना के विपरीत था। उच्च न्यायालय का ध्यान शायद इस तथ्य की ओर नहीं खींचा गया था कि 7 जुलाई 2021 की अधिसूचना अनुसरण में थी

2017 की सांविधिक अधिसूचना जो वैध थी। अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से था

49. अपीलार्थी पहले ही निर्वाचन आयोग के लिए आवेदन कर चुके हैं। एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने जांच के बाद अपीलार्थियों के आवेदन और उन्हें ईसी के अनुदान के लिए योग्य पाते हुए, संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के अनुदान के लिए उनके मामलों की सिफारिश की गई। अपीलार्थियों को टीओआर प्रदान किया गया था और एक सार्वजनिक सुनवाई भी की गई थी

आयोजित किया गया। ईसी जारी करने का केवल अंतिम प्रक्रियात्मक कदम बचा है।

50. यह दावा किया जाता है कि अपीलार्थियों की इकाइयाँ पूरी तरह से गैर-कानूनी हैं।

"शून्य व्यापार निर्वहन" वाली प्रदूषणकारी इकाइयाँ। वे अंदर आ गए हैं 3 3 2017 एससीसी ऑनलाइन मैड 7056 [2022] 16 एस. सी. आर.

कई वर्षों तक संचालन। राज्य द्वारा पहले दायर किए गए उत्तर शपथ पत्र में

एन. जी. टी. में, यह उल्लेख किया गया था कि इकाइयाँ एच. एस. पी. सी. बी. द्वारा दिए गए वैध सी. टी. ओ. के साथ सद्भावना से काम कर रही थीं। यह कहा गया था कि इकाइयाँ प्रदूषण का खतरा पैदा नहीं कर रही थीं। इकाइयों के खिलाफ एकमात्र चीज ईसी प्राप्त नहीं करने की प्रक्रियात्मक चूक थी।

51. एक संचार सं. एफ. नहीं। आई. ए.-जे.-110011/185/2020-आई. ए. II (I) दिनांक 20 जुलाई 2021 को अपीलार्थी संख्या 1, एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. को जारी किया गया।

संदर्भ की शर्तों के प्रस्ताव को इस कथित आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलार्थी संख्या 1 की गतिविधि ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 की अनुसूची के आइटम 5 (एफ) "सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स" की श्रेणी "ए" के तहत शामिल थी। के संबंध में एक समान संचार जारी किया गया था

मेसर्स एपकोलाइट पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड लि. महत्वपूर्ण रूप से, 9 जुलाई 2021 के एक आदेश द्वारा, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की थी और अपीलार्थी संख्या 1 को टी. ओ. आर. जारी करने की सिफारिश की थी, जैसा कि ऊपर देखा गया है। दस्तक के आवेदन पर एनजीटी द्वारा पारित 3 जून 2021 के विवादित आदेश के कारण, सार्वजनिक सुनवाई के बाद अंतिम चरण में संदर्भ की शर्तों के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है, जो अपील के तहत है।

52. इस अपील को 30 सितंबर 2021 को प्रवेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था, साथ ही अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन 2021 का आई. ए. No.110064 था।

अपीलकर्ताओं को अपील के लंबित रहने के दौरान अपनी इकाइयों को संचालित करने की अनुमति देने वाले आदेशों के लिए प्रार्थना करना। अपील पर प्रवेश स्तर पर विस्तार से सुनवाई की गई और 30 सितंबर 2021 के एक आदेश द्वारा अंतरिम आवेदन के साथ निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया।

53. 20 जुलाई 2021 को निर्देश की शर्तों के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का पत्र प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ताओं ने एच. एस. पी. सी. बी. से अपीलकर्ताओं को सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही भेजने का अनुरोध किया

अपीलार्थियों की विनिर्माण इकाइयों के संबंध में। एक संचार सं. एच. एस. पी. सी. बी./वाई. आर./2021/2830 दिनांक 15 फरवरी 2022, एच. एस. पी. सी. बी. ने अपीलार्थी संख्या 1 की यमुना नगर इकाई के संबंध में सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। एक अन्य संचार सं. एच. एस. पी. सी. बी./वाई. आर./29021/2829 दिनांक 15 फरवरी 2022 को एच. एस. पी. सी. बी. ने अपीलकर्ता संख्या 2 की यमुना नगर इकाई के संबंध में 3 फरवरी 2022 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही को अपीलकर्ता संख्या 2 को भेज दिया।

54. अपीलार्थियों की विनिर्माण इकाइयाँ लगभग 8,000 कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं और उनका विशाल वार्षिक कारोबार होता है। एक प्रतिष्ठान

देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देना और आजीविका प्रदान करना मेसर्स पाहवा प्लैस्टिक्स पी. वी. टी. होना चाहिए।

लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ [इंदिरा बनर्जी, जे.]

केवल पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की तकनीकी अनियमितता के आधार पर बंद किया जाएगा, भले ही या

ई इकाई वास्तव में प्रदूषण का कारण बनती है।

55. इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड v. भारत संघ ', यह न्यायालय

बिना पूर्व पर्यावरण के अपनी साइट को स्थानांतरित करने की तकनीकी अनियमितता के लिए सैकड़ों लोगों को बंद कर दिया जाना चाहिए। मंजूरी, प्रतिष्ठान को अवसर के बिना

आवश्यक मंजूरी और अनुमति प्राप्त करके इसके संचालन को नियमित करें, भले ही प्रतिष्ठान अन्यथा प्रदूषण कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहा हो, या प्रदूषण, यदि कोई हो, तो आसानी से और प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। जवाब नकारात्मक होना चाहिए।

83. केंद्र सरकार 1986 के अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने और/या रोकने के लिए निर्देश जारी करने के लिए अपनी शक्तियों के दायरे में है, जिसमें किसी परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी के लिए निर्देश भी शामिल हैं। इस तरह की पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य रूप से दी जाती है

पर्यावरण पर परियोजना के प्रभाव की जांच करना। पूर्व पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी आम तौर पर नहीं दी जानी चाहिए, और निश्चित रूप से पूछने के लिए नहीं। उसी समय पूर्व कार्योत्तर मंजूरी और/या अनुमोदन और/या अधिसूचनाओं के संदर्भ में तकनीकी अनियमितताओं को हटाना

1986 एक चालू इस्पात संयंत्र के संचालन को रोकने के परिणामों से अनजान, पांडित्यपूर्ण कठोरता के साथ अधिनियम को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

84. 1986 का अधिनियम पूर्व कार्योत्तर निषेध नहीं करता है।

पर्यावरण मंजूरी। कुछ छूट और अनुदान भी कानून के अनुसार, नियमों, विनियम अधिसूचनाओं और/या लागू होने वाले नियमों के सख्त अनुपालन में पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी

आदेश, उपयुक्त मामलों में, जहां परियोजनाएं अनुपालन में हैं, या पर्यावरण मानदंडों का पालन करने के लिए बनाया जा सकता है, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। न्यायालय अर्थव्यवस्था या उसकी रक्षा करने की आवश्यकता से अनजान नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और अन्य लोगों की आजीविका

परियोजना और परियोजना पर निर्भर अन्य, यदि ऐसा है

परियोजनाएँ पर्यावरण मानदंडों का पालन करती हैं।

***

88. 14 मार्च, 2017 की अधिसूचना एस. ओ. 804 (ई) होने के कारण एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स (उपरोक्त) में कोई मुद्दा नहीं था। यह न्यायालय 2002 के एक परिपत्र की औचित्य और/या वैधता की जांच कर रहा था जो 27 जनवरी, 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के साथ असंगत था, जो वैधानिक था। पूर्व पोस्ट फैक्टो

हालाँकि पर्यावरण मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। नियमित रूप से, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए

पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन के परिणाम उससे कहीं अधिक हैं किसी उद्योग के संचालन के नियमितीकरण के परिणाम

पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन और उद्योग के अनुदान द्वारा या

संबंधित प्रतिष्ठान अन्यथा अपेक्षित प्रदूषण मानदंडों के अनुरूप है, लागू होने वाले नियमों के सख्त अनुपालन में कानून के अनुसार पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन दिया जाना चाहिए।

नियम, विनियम और/या अधिसूचनाएँ। पूर्व पोस्ट फैक्टो

अनुमोदन को केवल दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। विचलित उद्योग को लागू करके दंडित किया जा सकता है

'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत पर भारी जुर्माना और लागत

इससे पर्यावरण की बहाली की जा सकती है।

***

96. अपीलों की अनुमति है। विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 कानून के अनुसार संशोधित निर्वाचन आयोग के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लेगा। इस तरह के निर्णय के आने तक, इस्पात संयंत्र के संचालन में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा कि

ईसी, एफसी, सीटीई या सीटीओ की आवश्यकता है।

56. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, सामान्य रूप से पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, निश्चित रूप से पूछने के लिए नहीं। साथ ही ई.

पी. अधिनियम के तहत अधिसूचना में तकनीकी अनियमितताओं को हटाने और/या अनुमोदन को पांडित्यपूर्ण एम/एस पाहवा प्लास्टिक पी. वी. टी. के साथ अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कठोरता, खानों के संचालन को रोकने, कारखानों और संयंत्रों को चलाने के परिणामों से अनजान।

57. 1986 का अधिनियम पूर्व कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी को प्रतिबंधित नहीं करता है। नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और/या लागू आदेशों के सख्त अनुपालन में, कानून के अनुसार, उचित मामलों में, जहां परियोजनाएं अनुपालन में हैं, या पर्यावरण मानदंडों का पालन करने के लिए बनाई जा सकती हैं, हमारे विचार में पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी का अनुदान अस्वीकार्य है। यदि ऐसी परियोजनाएं पर्यावरण मानदंडों का पालन करती हैं तो न्यायालय अर्थव्यवस्था या परियोजना में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और परियोजना पर निर्भर अन्य लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता से अनजान नहीं हो सकता है।

58. जैसा कि इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम. भारत संघ 3:

" 119. समय आ गया है कि हम योग्यता समीक्षा के विपरीत न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पर्यावरण से संबंधित मामलों में संवैधानिक "आनुपातिकता के सिद्धांत" को लागू करें। यह नहीं कहा जा सकता कि

पर्यावरण और उसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से होना चाहिए जो सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता के सिद्धांतों के अनुरूप हो, लेकिन इन इक्विटी में नीतिगत विकल्प शामिल हो सकते हैं। परिस्थितियों में, अपवादों को छोड़कर, प्राकृतिक के उपयोग से संबंधित निर्णय

न्यायिक समीक्षा के सुविख्यात सिद्धांतों के आधार पर संसाधनों का परीक्षण किया जाना चाहिए। सभी प्रासंगिक कारक हैं

ध्यान में रखा गया? कोई बाहरी कारक हैं निर्णय को प्रभावित किया? क्या निर्णय सख्ती से कानून (यदि कोई हो) के तहत विधायी नीति के अनुसार है जो क्षेत्र को नियंत्रित करता है? क्या निर्णय इस अर्थ में सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप है कि निर्णय निर्माता ने उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा है और प्रासंगिक विचारों के आधार पर एक संतुलित निर्णय पर पहुंचा है? अतः न्यायालय को निर्णय लेने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए।

यह सुनिश्चित करना कि एमओईएफ का निर्णय निष्पक्ष और पूरी तरह से सूचित हो, सही सिद्धांतों पर आधारित हो और किसी भी पूर्वाग्रह या संयम से मुक्त हो। एक बार यह सुनिश्चित हो जाने के बाद, निर्णय लेने वाले के पक्ष में "प्रशंसा के अंतर" का सिद्धांत आएगा।

59. अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहाः

" 27. एक पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी की अवधारणा पर्यावरण न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों का अपमान है और 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के लिए एक अभिशाप है। जैसा कि कॉमन कॉज के फैसले में कहा गया है, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है और अपूरणीय क्षरण का कारण बन सकता है। एक पूर्वव्यापी ईसी या एक पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए विदेशी होने का कारण है

कि एक ई. सी. जारी करने से पहले, वैधानिक अधिसूचना

एक प्रस्तावित गतिविधि के संभावित परिणामों के अध्ययन के अलावा, दिमाग के सावधानीपूर्वक अनुप्रयोग की आवश्यकता है

पर्यावरण। निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूरा करने के बाद ही ईसी जारी किया जा सकता है। सार्वजनिक सुनवाई, जांच, दायरा और मूल्यांकन जैसी आवश्यकताएं निर्णय लेने की प्रक्रिया के घटक हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि निर्णय लेने की गणना में औद्योगिक गतिविधि या मौजूदा औद्योगिक गतिविधि के विस्तार के संभावित प्रभावों पर विचार किया जाए। एक पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी की अनुमति अनिवार्य रूप से माफ कर देगी

ईसी के अनुदान के बिना औद्योगिक गतिविधियों का संचालन। ईसी के अभाव में ऐसी कोई शर्त नहीं होगी जो पर्यावरण की रक्षा करे। इसके अलावा, अगर चुनाव आयोग को अंततः अस्वीकार कर दिया जाता, तो अपूरणीय क्षति होती। पर्यावरण के कारण। मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, पर्यावरण कानून एक पूर्व पद की धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता है।

वास्तविक निकासी। यह दोनों के विपरीत होगा

एहतियाती सिद्धांत के साथ-साथ टिकाऊ की आवश्यकता

विकास "।

60. भले ही इस न्यायालय ने पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी, एम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (उपरोक्त) को अस्वीकार कर दिया, इस न्यायालय ने संबंधित इकाइयों को निर्देश नहीं दिया, बल्कि इसे नियंत्रित करने के उपायों का पता लगाया।

औद्योगिक इकाइयों के कारण। इस न्यायालय ने कहाः

" हालाँकि, चूंकि विस्तार किया गया है और उद्योग काम कर रहा है, इसलिए हम उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरे संयंत्र को बंद करने का आदेश देना उचित नहीं समझते हैं। मेसर्स पाहवा प्लास्टिक्स पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ [इंदिरा बनर्जी, जे.]

61. अधिसूचना इस प्रकार है। 804 (ई) दिनांक 14 मार्च 2017 अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में जारी नहीं किया गया था। अलेम्बिक में फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ऊपर) यह न्यायालय औचित्य की जांच कर रहा था।

और/या 2002 के परिपत्र की वैधता जो 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के साथ असंगत थी, जो वैधानिक थी। 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई है। 62. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ईसी प्राप्त करने की आवश्यकता का पालन करने की आवश्यकता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। एक इकाई को स्थापित किया जा सकता है या आवश्यक पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के अधीन विस्तार करने की अनुमति दी जा सकती है। ई. सी. पर्यावरण के दृष्टिकोण से इकाई स्थापित करने के लिए स्थल की उपयुक्तता और आवश्यक इकाइयों के अस्तित्व की शर्त पर प्रदान किया जाता है।

विकास, यह अनिवार्य है कि प्रदूषण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। किसी भी परिस्थिति में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अनियंत्रित रूप से संचालित करने और पर्यावरण को खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 63. कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी बाहरी रूप से नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए असाधारण परिस्थितियों में दी जानी चाहिए। जहाँ पूर्व के इनकार के प्रतिकूल परिणाम

कार्योत्तर अनुमोदन कार्योत्तर अनुमोदन के अनुदान द्वारा संचालन के नियमितीकरण के परिणामों से कहीं अधिक है, और संबंधित प्रतिष्ठान अन्यथा आवश्यक प्रदूषण मानदंडों, कार्योत्तर अनुमोदन के अनुरूप है।

लागू नियमों, विनियमों और/या अधिसूचनाओं के सख्त अनुरूप, कानून के अनुसार वास्तविक अनुमोदन दिया जाना चाहिए। विचलित उद्योग को 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत पर भारी जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और पर्यावरण की बहाली की लागत इससे वसूल की जा सकती है।

64. इस मामले में सवाल यह है कि क्या देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली और सैकड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली इकाई,

जो संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसरण में स्थापित किया गया है, और पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी के लिए आवेदन किया है, उसे पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव की तकनीकी अनियमितता के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए, ईसी जारी होने तक, भले ही यह प्रदूषण का कारण न हो और/या आवश्यक मानदंडों का पालन करते हुए पाया जा सकता है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए, विशेष रूप से तब जब एच. एस. पी. सी. बी. स्वयं इस गलत धारणा में था कि विचाराधीन इकाइयों के लिए किसी पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।

एस. पी. सी. बी. ने अपने [2022] 16 एस. सी. आर. में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एनजीटी के समक्ष जवाबी हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एपकोलाइट यमुना नगर और पाहवा जैसी इकाइयों को नियमित करने का निर्णय लिया गया था यमुना नगर इकाइयाँ, चूंकि उन इकाइयों को आवश्यक अनुमोदन दिए गए थे, संबंधित अधिकारियों द्वारा इस गलत धारणा पर कि किसी ईसी की आवश्यकता नहीं थी।

65. यह दोहराया जाता है कि 1986 का अधिनियम पूर्व पद को प्रतिबंधित नहीं करता है

वास्तव में ईसी। कुछ छूट और यहां तक कि नियमों, विनियमों के सख्त अनुपालन में कानून के अनुसार पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी का अनुदान,

अधिसूचनाएँ और/या लागू आदेश, उपयुक्त मामलों में, जहां परियोजनाएं पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन में हैं, अनुज्ञेय नहीं हैं। जैसा कि इस न्यायालय ने इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड (उपरोक्त) में कहा है, यह न्यायालय अर्थव्यवस्था या इकाइयों में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और अन्य लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता से अनजान नहीं हो सकता है और अपने अस्तित्व में इकाइयों पर निर्भर है।

66. पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी को आम तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से पूछने के लिए नहीं। उसी समय पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी और/या संचालन को रोकने के परिणामों की परवाह किए बिना, पांडित्यपूर्ण कठोरता के साथ अनुमोदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय का विचार है कि

एनजीटी ने कानून में यह निर्देश देने में गलती की कि इकाइयों को वैधानिक अधिदेश के अनुपालन तक काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 67. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को तब तक अलग रखा जाता है जब तक कि यह अपीलार्थियों की इकाइयों पर लागू होता है।

एच. एस. पी. सी. बी. से सी. टी. ई. और सी. टी. ओ. के अनुसार स्थापित और संचालित, जिसके संबंध में पूर्व पोस्ट फैक्टो ई. सी. के लिए आवेदन दायर किए गए हैं। प्रत्यर्थी तारीख से एक महीने के भीतर कानून के अनुसार निर्वाचन आयोग के लिए अपीलकर्ताओं के आवेदनों पर निर्णय लेगा। निर्णय लंबित रहने तक, पाहवा यमुना नगर इकाई और एपकोलाइट यमुना नगर इकाई का संचालन, जिसके संबंध में सहमति दी गई है

68. अपीलार्थियों को इकाइयों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। बिजली, यदि काट दी जाती है, तो शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के अधीन बिजली बहाल की जाएगी। यदि ई. सी. के लिए आवेदन अपीलार्थियों की ओर से किसी भी उल्लंघन के आधार पर खारिज कर दिया जाता है, तो उत्तरदाताओं के लिए बिजली की आपूर्ति काटना खुला रहेगा।

69. भारत संघ ने निर्वाचन आयोग के लिए आवेदन जारी रखा था और यहां तक कि सार्वजनिक सुनवाई भी हुई थी। मेसर्स पाहवा प्लास्टिक्स पी. वी. टी. की ओर से उपस्थित वकील।

लिमिटेड। वी. दस्तक एनजीओ [इंदिरा बनर्जी, जे.]

भारत संघ ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने सार्वजनिक सुनवाई के बाद निर्वाचन आयोग के लिए अपना अंतिम आवेदन जमा नहीं किया था। यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थियों से और क्या अपेक्षित था। बशर्ते कि भारत संघ, इस निर्णय और आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर, अपीलार्थियों को लिखित रूप में सूचित करेगा कि क्या अपीलार्थियों द्वारा आगे कुछ करने की आवश्यकता है, और यदि ऐसा है तो क्या करने की आवश्यकता है। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता आवश्यक कार्य करेंगे। निर्वाचन आयोग के लिए अपीलार्थियों के आवेदन पर अंतिम निर्णय होगा -

इसके बाद तीन सप्ताह के भीतर लिया गया।

70. आवेदन आई. ए. No.110064/2021 और अन्य लंबित हैं

इस अपील में आवेदन, यदि कोई हो, का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन और अमरेंद्र कुमार

(सहायकः प्रियांशु अग्रवाल, एलसीआरए)